Entry 32 (जोत बंदी)

(146)

अधिवक्ता श्री ... जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत 19/09/18 A.S.

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

अपील – 6014/2018/ बैतूल/भू.रा

राजेश आ0 मोतीलाल यादव

निवासी सोमवारी पेठ तहसील जिला बैतूल ---- अपीलार्थी

विरुद्ध

बसंत यादव द्वारा

सार्वजनिक न्याय मंच बैतूल तहसील व जिला बैतूल ---- उत्तरवादी

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म0प्र0 भू0राजस्व संहिता

---

माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश 26.6.2018 द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राहता पर तर्क श्रवण कर बगैर अभिलेख बुलाये ही निरस्त की है के विरुद्ध यह अपील इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

// प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :: एवं आधार //

1. यह कि, बिहारी पिता सुखराम को भूमि ख0नं. 103 रकबा 1.214 हेक्टेयर भूमि वर्ष 64-65 में प्राप्त हुई थी बिहारी की मृत्यु वर्ष 2009 में हुई है बिहारी अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि का स्वामित्वधारी की हैसियत से उपयोग उपभोग करता रहा बिहारी के द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 29.5.95 को

....2

(146) (166)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

---------

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** -अपील-6014/2018/बैतूल/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| ?1-08-2019<br>भोपाल कैम्प | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 27-06-2019 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br><br>**(महेशचंद्र चौधरी)**<br>**सदस्य** | |